


| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>श्रीमती बसन्ती बनाम कमल मीना अपील संख्या 137/2010 (जीसीएमएस नम्बर 2010/00010)</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
|------------------------|---|--|
| <p>15.04.26</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्त को आवाज लगवाई गई। पुनः रूक रूककर आवाजें लगवाई गई फिर भी अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित है एवं अपीलार्थी या उनकी ओर से अन्य कोई और भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि प्रकरण वर्ष 2010 से रेस्पोंडेन्ट की तलबी में विचाराधीन चल रहा है। अधिवक्ता अपीलान्त को रेस्पोंडेन्ट के तलबी नोटिस पेश करने हेतु अंतिम अवसर भी दिये गये हैं, उसके बावजूद अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा तलबी नोटिस भी पेश नहीं किये गये हैं। अधिवक्ता अपीलान्त पूर्व में भी अनुपस्थित रहे हैं आज भी अनुपस्थित है तथा अपीलार्थी की ओर से अन्य कोई भी उपस्थित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (वे.सरवण कुमार) संसदीय आयुक्त, जयपुर </p> | |